न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 60/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
न्याति मालियान संस्था, कुचेरा जरिये सदस्य/प्रतिनिधि तेजाराम पुत्र शंकरलाल सांखला जाति माली निवासी कुचेरा तहसील मुण्डवा।		1लिखमाराम पुत्र रामचन्द्र 2भंवरूराम पुत्र रामदेव फौत के कायम मुकाम 2/1 रामेश्वरी पत्नी स्व. भंवरूराम 2/2 पुखराज पुत्र स्व. भंवरूराम 2/3 गीता पुत्री स्व. भंवरूराम 2/4 चुका पुत्री स्व. भंवरूराम 2/5 छोटी पुत्री स्व. भंवरूराम जातियान माली निवासीगण कुचेरा तहसील मुण्डवा। 3प्रेमचंद पुत्र प्रहलादराम 4पुखराज 5मोजीराम 6मनीराम 7जीवराज पुत्रान बद्रीराम 8पेमाराम 9नेनाराम 10पदमाराम पुत्रान टोवाराम 11कमला पुत्री केसाराम 12रामसिंह 13दिनेश 14गोरधनराम पुत्रान केसाराम 15बाबूलाल पुत्र रिकूराम 16भुगानराम पुत्र इन्द्राराम 17जगराम 18मेघाराम 19रामकैलाश पुत्रान देवबगस 20सुखराम 21मंगलाराम पुत्रान लिछमणराम 22रामेश्वरी पुत्री रामदेव 23बिदामी पुत्री रामदेव 24पतासी पुत्री रामदेव 25नेनी पुत्री रामदेव 26संतोष पुत्री रामदेव 27सोहनलाल 28सीताराम पुत्रान रामदेव 29सम्पत 30पप्पूराम पुत्रान जसाराम 31खीयाराम 32मोतीराम पुत्रान केवलराम 33डूगरराम पुत्र केवलराम फौत के कायम मुकामान 33/1 चिमनाराम पुत्र स्व. डूंगरराम 33/2 टीकमचंद पुत्र स्व. डूंगरराम 33/3 विनोद पुत्र स्व. डूंगरराम 33/4 लक्ष्मण पुत्र स्व. डूंगरराम 33/5 तराजु पुत्री स्व. डूंगरराम 33/6 मुनी पुत्री स्व. डूंगरराम 33/7 श्यामा पुत्री स्व. डूंगरराम 33/8 छोटी पुत्री स्व. डूंगरराम जातियान माली निवासीगण कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर। 34सुखराम 35मुन्नालाल पुत्रान केवलराम 36मंगूदेवी पत्नी चनणाराम 37जगाराम पुत्र चनणाराम फौत के कायम मुकामान 37/1 रामकुवार पुत्र स्व. जगाराम 37/2 रूपचंद पुत्र स्व. जगाराम 37/3 सेनीलाल पुत्र स्व. जगाराम 37/4 पुष्पा पुत्री स्व. जगाराम 37/5 सुमन पुत्री स्व. जगाराम 37/6 ममता पुत्री स्व. जगाराम 37/7 कौशल्या पुत्री स्व. जगाराम 37/8 कमला पत्नी स्व. जगाराम 38बाबूलाल 39रामकिशोर 40रामनिवास 41नोरतराम 42घेवरराम पुत्रान चनणाराम

43सांवताराम पुत्र चुनाराम 44पासूराम पुत्र रामलाल 45नंदलाल पुत्र गोरधन
46जगदीश 47रमेश 48जितेन्द्र 49राजेश पुत्रान भीवराज
50ज्यानी देवी पत्नी भीवराज 51लूणाराम पुत्र गोरधनराम
52हीराराम पुत्र मोहनलाल
53रामप्यारी पत्नी रामदेव (फौत) के कायम मुकामान–
53/1 गीता पुत्री रामदेव 53/2 शांति पुत्री रामदेव 53/1 बाउदेवी पुत्री रामदेव
53/4 गटू पुत्री रामदेव जातियान माली निवासीगण कुचेरा तहसील मुण्डवा।
54रामेश्वर पुत्र रामदेव
सभी जाति माली निवासीगण कुचेरा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।
55राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मुण्डवा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री संदीप जैन अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भगवान राम सारस्वत रेस्पोडेन्ट सं. 9, 15, 22, 23, 25, 27, 29–32, 35, 38, 43 व 51 की ओर से।
3. श्री श्याम कुमार व्यास रेस्पोडेन्ट सं. 45–46 तथा 48–50 की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 55 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर (हाल मुण्डवा) द्वारा मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 1783 पर पारित निर्णय दिनांक 12.04.85 से असंतुष्ट होकर दिनांक 14.08.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 20.08.2019 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में मौजा कुचेरा के नामान्तरकरण सं. 1783 दिनांक 12.04.85 की प्रमाणित फोटोप्रति, बेचान की फोटोप्रति, परिपत्र दिनांक 9.6.09 की फोटोप्रति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–रेस्पोडेन्ट सं. 9, 15, 22, 23, 25, 27, 29–32, 35, 38, 43 व 51 की ओर से श्री भगवान राम सारस्वत अधिवक्ता ने वकालतनामा, रेस्पोडेन्ट सं. 45–46 तथा 48–50 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता ने वकालतनामा तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1, 3–5, 7–8, 16–18, 20–21, 24 व 26 तारीख पेशी दिनांक 30.08.19 के सम्मन जारी किये गये, जो जरिये इंकार तामील हुए, रेस्पोडेन्ट सं. 44 व 54 तारीख पेशी दिनांक 30.08.19 के सम्मन जारी किये गये, जो खुद से तामील हुए, रेस्पोडेन्ट सं. 6, 10–14, 19, 28, 34, 36, 40–42 व 52 तारीख पेशी 9.10.19 के सम्मन रजि. ए.डी. के जारी किये गये, जिनकी अवधि 30 दिन से अधिक हो जाने के कारण उनकी तामील पर्याप्त मानी गई, रेस्पोडेन्ट सं. 33 के कायम मुकाम के सम्मन तारीख पेशी दिनांक 13.3.20 के जारी किये गये, जो जरिये आबाद मकान चस्पानगी के तामील हुए, रेस्पोडेन्ट सं. 37 के कायम मुकाम तथा 53 के कायम मुकाम के सम्मन तारीख पेशी दिनांक 23.12.20 के जारी किये गये, जो जरिये आबाद चस्पानगी के तामील हुए, रेस्पोडेन्ट सं. 47 का सम्मन तारीख पेशी दिनांक 23.12.19 के अखबार मे प्रकाशन करवाया गया, जिसकी अवधि 30 दिन से अधिक हो जाने के कारण उनकी तामील पर्याप्त मानी गयी, जो बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 55 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{3}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट की जाति माली है और ग्राम कस्बा कुचेरा का मूल निवासी है। माली समाज कुचेरा का प्रत्येक व्यक्ति माली न्याति संस्थान कुचेरा का सदस्य है और इस न्याति समाज के हितो मे उसका हित है। अतः इस सामुदायिक हित धारक संस्था का अपीलांट भी एक सदस्य है और प्रतिनिधि है। दिनांक 3.7.19 को अपीलांट की माता का स्वर्गवास हुआ था। अपीलांट की माता के स्वर्गवास पर आयोजित क्रियाक्रमों के तहत

अपर कलक्टर, नागौर

दिनांक 30.7.19 को एक कार्यक्रम मे अपीलांट के घर पर समाज के कई प्रबुद्व व्यक्ति शामिल हुए थे। इन व्यक्तियो द्वारा की गयी चर्चा से अपीलांट को मालूम हुआ कि माली न्याति संस्थान, कुचेरा की खरीदसुदा, हक अधिकार व स्वामित्व की भूमि मे विधि व नियम विरूद्व तरीके से पंचो के नाम रेकर्ड मे दर्ज करवा लिये है और इन पंचो मे से टोवाराम पुत्र श्री भूराराम, रामदेव पुत्र पूनाराम की मृत्यु होने पर बिना खातेदार हुए इनके उतराधिकारियो के नाम भी रिकार्ड मे दर्ज करवा लिये गये और ये लोग न्याति संस्थान की भूमि को व्यक्तिगत हित मे खुर्द बुर्द करने पर भी आमादा है। अतः समाज के व्यक्तियो से चर्चा से सुनी बातो की जांच करने हेतु दिनांक 31.7.19 को तहसील कार्यालय मुण्डवा से रिकार्ड का अवलोकन किया जो जांच करने से प्रकट हुआ कि जमाबंदी मे निराधार रूप से "न्याति संस्थान" की भूमि मे पंच के वारिसान के नाम दर्ज है तथा पंच टोवाराम व रामदेव की मृत्यु पर उनके वारिसान के नाम नामान्तरकरण के जरिये दर्ज है। इस प्रकार जमाबंदी की जांच से यह प्रकट हुआ कि रिकार्ड मे दर्ज नाम बिना किसी प्राधिकार के दर्ज है। जो एक गलत इन्द्राज है और गलत इन्द्राजो को रिकार्ड पर नही रखा जा सकता। अतएव अपीलांट ने ऐसे गलत अंकन को सही कराने हेतु सभी नामान्तरकरणो की नकले लेने हेतु कार्यवाही करवायी गयी। जिस पर नामान्तरकरण सं. 5500 व 5501 की प्रतिलिपि तहसीलदार मुण्डवा से दिनांक 31.7.19 को प्राप्त हुई। जबकि नामान्तरकरण सं. 1783, 2050, 2051 मौजा कुचेरा की प्रमाणित नकल दिनांक 14.8.19 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलांट को इस प्रकरण मे रिकार्ड मे नामान्तरकरण पर पारित आदेश के फलस्वरूप गलत इन्द्राज होने की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 31.07.19 को रिकार्ड अवलोकन करने एवं नकल प्राप्त करने हुई। तत्पश्चात अन्य दस्तावेजात दिनांक 14.08.19 को अपील तैयार करवायी जाकर अपील पेश की। जिसे तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना न्याय संगत है। जबकि वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया कि अपीलांट को म्यूटेशन के संबंध मे शुरू से ही जानकारी थी। केवल मात्र न्यायालय को भ्रमित करने हेतु गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। नामान्तरकरण सं. 1783 की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी। विवादित भूमि के संबंध मे राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर मे विचाराधीन है। उक्त वाद माली समाज संस्था कुचेरा जरिये अध्यक्ष पुखराज व अन्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय म्यूटेशन जैर अपील व राजस्व रेकर्ड की जानकारी हो गयी थी। इसलिये अपील मियाद बाहर होने से निरस्त की जानी चाहिये। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। राजकीय वकील द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र का विरोध नही किया गया है। जिसके जवाब मे वकील अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि न्याति माली सस्थांन द्वारा यह अपील तेजाराम द्वारा प्रस्तुत की गई है। कथित वाद मे तेजाराम कोई पक्षकार नही है। उन्हे इस बात की जानकारी होने का कथन काल्पनिक आधार पर किया जा रहा है। प्रत्यर्थी तहसीलदार का आदेश जैर अपील विधि के नियमो के अध्यधीन प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है। ऐसे आदेश के संबंध मे किसी भी समय आपत्ति उठाई जा सकती है तथा इस संबंध मे कोई मियाद लागू नही होती है। अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{3}(I)–यह अपील न्याति मालियान संस्था, कुचेरा जरिये सदस्य/प्रतिनिधि प्रस्तुत की गई है। ग्राम कुचेरा मे माली न्याति समाज के काफी तादाद मे परिवार होने से माली समाज के सामूहिक हितो आदि के लिये समाज के मौजीज व्यक्तियो का संगठन/संस्था कदीम से बनी हुई है। जिसका संचालन समाज द्वारा नामित पंचो द्वारा किया जाता रहा है। माली समाज कुचेरा का प्रत्येक व्यक्ति इस न्याति समाज संस्था का सदस्य है और इस न्याति संस्थान के हितो मे उसका भी हित निहित करता है। माली न्याति समाज कुचेरा, कुचेरा के माली समाज के आर्थिक एवं सामाजिक एवं शेक्षणिक उत्थान बाबत सामूहिक हितो मे कार्य करने हेतु प्रयत्नशील है। समस्त माली समाज कुचेरा के आर्थिक एवं सामाजिक हितो के मध्य नजर माली न्याति संस्थान कुचेरा हाल खसरा नं. 2466 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नं. 2469 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 2470 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नं. 2468 रकबा 8 बिस्वा कुल 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 02.03.60 को खरीदी थी। जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय, नागौर मे दिनांक 09.03.60 को क्रम सं. 104/60 पर पंजीबद्व हुआ है। समस्त माली न्याति समाज संस्थान कुचेरा एक संस्था है। जिसका संचालन समाज द्वारा समय–समय पर नामित पंचो (प्रतिनिधियो) द्वारा किया जाता रहा है। वर्ष 1960 मे समस्त माली न्याति संस्थान, कुचेरा कुल 10

सहायक कलक्टर, नागौर

पंच (प्रतिनिधि) थे। जो रामचंद्र पुत्र लालूराम माली निवासी कुचेरा, रामदेव पुत्र खुमाराम माली निवासी कुचेरा, टोवाराम पुत्र भूराराम, इन्द्राराम पुत्र हीराराम, रामदेव पुत्र पूनाराम, चूनाराम पुत्र गणेशाराम, रामलाल पुत्र मूलाराम, गोरधन पुत्र पांचाराम, मोवनाराम पुत्र छोटू व रामदेव पुत्र जगजी कौम माली निवासीगण कुचेरा थे। वर्तमान मे उक्त सभी दस पंचो (प्रतिनिधियो) की मृत्यु हो गई है। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 54 तक सभी इनके विधिक वारिस है। उक्त सभी दसो व्यक्ति समाज के नामित प्रतिनिधि होने से समाज की ओर से खातेदारो से खरीदी भूमि पर हुए सौदे की एवज मे निष्पादित बेचान पत्र पर क्रेता समस्त माली न्याति समाज संस्थान की ओर से हस्ताक्षर किये थे। विक्रेताओ से माली न्याति संस्थान, कुचेरा की ओर से कब्जा प्राप्त किया था और माली न्याति संस्थान कुचेरा के कोष से इस खरीद की गई भूमि के प्रतिफल रू. 8500/– का भुगतान भी विक्रेताओ को किया गया था। इस बेचान पत्र दिनांक 02.03.60 मे विक्रेताओ ने स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि "कब्जा न्यात की तरफ से आप पंचान व मुखियान न्यात मालियान कुचेरा को करा दिया है।" बेचान पत्र मे आगे और यह अंकित है कि "न्यात की रकम निजोखमी है।" समस्त माली न्याति संस्थान, कुचेरा दिनांक 05.10.84 को पुनः मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2465 रकबा 15 बिस्वा भूमि प्रतिफल रू. 2000/– मे खरीदी और इसका बेचान पत्र दिनांक 05.10.84 को ही उप पंजीयक कार्यालय, नागौर मे क्रम सं. 1411 पर पंजीबद्व करवाया। वर्ष 1984 मे माली न्याति संस्थान, कुचेरा के पंच (प्रतिनिधि) समाज द्वारा नामित थे। जो इस प्रकार रहे, टोवाराम पुत्र भूराराम, रामदेव पुत्र पूनाराम, गोरधनराम पुत्र पांचाराम, रामदेव पुत्र जगाराम कौम तमाम माली निवासीगण कुचेरा। इस प्रकार वर्ष 1984 मे माली न्याति संस्थान, कुचेरा के चार नामित पंच थे। वर्तमान मे चारो ही जीवित नही है। रेस्पोडेन्टस सं. 4 से 15 पंच टोवाराम के, रेस्पोडेन्ट सं. 22 से 28 पंच रामदेव पुत्र पूनाराम के, रेस्पोडेन्ट सं. 45 से 51 पंच गोरधन व रेस्पोडेन्ट सं. 53 व 54 पंच रामदेव पुत्र जगाराम के वारिस है। उक्त चारो ही पंचो ने समाज के नामित प्रतिनिधि होने से समाज की ओर से विक्रेता से भूमि खरीदी। खरीद की गयी भूमि के सौदे की एवज मे निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 05.10.84 पर क्रेता समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा की ओर से हस्ताक्षर किये थे। इन प्रतिनिधियो ने न्याति संस्थान की ओर से कब्जा प्राप्त किया और न्याति संस्थान के कोष से विक्रेता को प्रतिफल का भुगतान किया। बेचान पत्र दिनांक 05.10.84 मे विक्रेता द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि समय पर काश्त नही कर सकने से यह जमीन मालियान के न्यात को विक्रय कर दिया है तथा पहले की जमीन जो दिनांक 09.03.60 को 6.01 बीघा विक्रय कर दी एवं उस वक्त रजिस्ट्री भी करवायी थी।

{3}(II)–उपरोक्त विवरण के अनुसार मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2466, 2469, 2470, 2468 एवं 2465 की भूमि का वास्तविक क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा है। यह एक संस्था होने से इसका संचालन समाज द्वारा नामित पंच/प्रतिनिधियो को है। मगर ऐसे पंच या प्रतिनिधि संस्था की ओर से खरीद की गयी भूमि की हकदार या खातेदार अभिधारी नही होते है। प्रत्युत रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 54 के पूर्वज इस संस्थान केवल पंच (प्रतिनिधि) थे और पंच या प्रतिनिधी को कोई हक या स्वत्व प्राप्त न हो सकने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, इस अधिनियम 1956 के तहत बने राजस्व भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व रिकार्ड (खतौनी व नामान्तरकरण) मे ऐसा इन्द्राज नही किया जा सकता। विधि के उक्तानुसार सुस्थापित प्रावधानो के अध्यधीन रहते राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरो को परिपत्र क्रमांक प–5(8)राज–6/97/6 दिनांक 09.06.09 जारी किया जो इस प्रकार है–

"विभाग के यह ध्यान मे लाया गया है कि जमाबंदी लेखन के समय की जाने वाली प्रविष्टिया नियमानुसार नही की जा रही है। जमाबंदी मे की जाने वाली प्रविष्टियो के संबंध मे राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 114, 121 तथा राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 153 से 169 मे व्यापक प्रावधान है जिसके अनुसार अभिधृति धारक का नाम, पिता का नाम, जाति एव निवास के साथ साथ अभिधृति सह–धारक, सह–भागीदार, कब्जाधारी तथा बंधकदारो तथा उसमे काश्तकार के अतिरिक्त अन्य प्रकार से भूमि धारण के हित यदि कोई हो, का ही उल्लेख किया जाना चाहिये। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि यदि अभिधृति धारक यदि कोई कम्पनी या संस्था है तो कम्पनी या संस्था के नाम के साथ–साथ जरिये निदेशक, जरिये मेनेजर आदि प्रकार के शब्दो का प्रयोग किया जा रहा है जो भू–अभिलेख नियमो का उल्लंघन है। इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियो से भविष्य मे रिकार्ड संधारण मे कठिनाइया उत्पन्न होगी। अतः निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे जमाबंदी के कॉलम सं. 6 मे प्रविष्टि नियमानुसार की जावे तथा किसी प्रकार की

अपर कलक्टर, नागौर

अवांछित प्रविष्टि न की जावे। अब तक हो चुकी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियो को ठीक करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 399, 406, 416, 423 के अन्तर्गत व्यापक प्रावधान है। राजस्व रेकर्ड को आदिनांक एवं त्रुटिरहित संधारित करना राजस्व अधिकारियो का परम दायित्व है। अतः उपरोक्त प्रावधानो मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग कर राजस्व रिकार्ड को आदिनांक एव त्रुटिरहित करने की कार्यवाही की जावे। परिपत्र की जानकारी आपके अधीनस्थ अधिकारियो को करायी जावे। पत्र की पावती से अवगत कराया जावे।"

राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के नियम 131 मे नामान्तरकरण का कार्य क्षेत्र यथा विहित है।

131 नामान्तरकरण के कार्यक्षेत्र की सीमा –

i- निम्न काश्तकार अपवादो के अलावा, किसी (खातेदारी / गैर खातेदारी, काश्तकार आदि) की हेसियत मे परिवर्तन नही किया जा सकता।

क– हित धारण करने वाले सभी पक्षकारो की सहमति से, या

ख– उन पर बाध्यकारी किसी डिक्री या आदेश के परिणामस्वरूप, या

ग– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के सारभूत प्रभावशाली प्रावधानो के अन्तर्गत साबित हुए या घटित हुई स्वीकृत तथ्यो के अनुसार।

ii- उत्तराधिकार के मामले मे स्वामित्व के विषय मे संक्षिप्त जांच करना आवश्यक है। जबकि यह दावा किया गया हो कि सम्पदा वसीयत के कारण प्राप्त हुई है, वहां उसे वंशक्रमानुसार उत्तराधिकार का मामला समझना चाहिये, और जांच मे वसीयत की वैधता की जांच भी शामिल होगी।

121(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 121 के उप बिन्दु–4 के अनुसार–

राजस्व अधिकारी (तहसीलदार / नायब तहसीदार या सहायक कलक्टर) या ऐसी ग्राम पंचायते जिन्हे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 के अधीन शक्तिया सुपुर्द की गयी हो, यथास्थिति प्रति–परत पर अपना आदेश लिखना चाहिये। उसे यह ध्यान रखना चाहिये कि नामान्तरकरण पत्र के इन्द्राज व तत्संबंधी उसके आदेश साफ और पढी जाने योग्य लिपि मे लिखी गयी है। आदेश / ऑर्डर मे हित रखने वाले पक्षधर (फरीकन), आया वे सभी उपस्थित थे या कोई अनुपस्थित रहा, गवाही लेने का दण्ड, या गवाही नही ली गयी, उसे उपस्थित होने का क्या अवसर प्रदान किया गया, उपस्थित पक्षकारो की पहचान किसने दी, उसे लिखने का स्थान, दिनांक सहित दर्शाये जाने चाहिये। भूमि के पृथक्कीकरण (किसी अन्य व्यक्ति को देना (एलानसन) का नामान्तरकरण मे, आदेश मे पक्षकार की जाति व उप–जाति का उल्लेख होना चाहिये। पक्षकारो और गवाहो के बयानो का विस्तृत ब्योरा अभिलिखित करना आवश्यक नही है, लेकिन आदेश मे, संक्षेप मे, उन व्यक्तियो का उल्लेख जिनके बयान राजस्व अधिकारी के लिये और गवाहो द्वारा बयान मे बताये गये तथ्यो व आदेश के आधार पर उल्लेख करना चाहिये। अलावा ऐसे मामले की जब नामान्तरकरण आदेश पूरी जोत (खाते) के लिये हो और विवाद रहित उतराधिकार के मामलो के अलावा, राजस्व अधिकारी प्रभावित खेतो की सं. और उनका कुल क्षेत्रफल अपने स्वयं के हाथो से इन्द्राज करना चाहिये।

{3}(III)–राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 121 मे अधिकार अभिलेख (खतोनी / जमाबंदी) मे दर्ज होने वाले विवरण का प्रावधान हैं जिसके अनुसार धारा 114 के खण्ड ख, द्वारा विहित भूमि की काश्त करने वाले या अन्यथा धारण करने वाले या अधिवास करने वाले व्यक्तियो का ही अंकन किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंकन खतोनी / जमाबंदी मे नही किया जा सकता है।

{3}(IV)–जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1783 मौजा कुचेरा पर पारित आदेश दिनांक 12.4.85 नियम, विधि एव राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के बिनाय पर गलतफहमी मे दर्ज इन्द्राज है। जो निरस्तनीय है।

{3}(V)–विधिनुसार अधिकार अभिलेख मे खातेदार काश्तकार के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का अंकन नही किया जा सकता। बेचान पत्र दिनांक 02.03.60 व दिनांक 05.10.84 मे भूमि का क्रेता न्याति मालियान संस्थान कुचेरा है। इन विक्रय पत्रो मे वर्णित अन्य व्यक्ति इस संस्था के प्रतिनिधि / पंच होने से केवल संविदा निष्पादन की गरज से इनके नाम दर्ज है। क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा होने से खातेदारी

अपर कलक्टर, नागौर

अधिकार विधिनुसार इस संस्था को ही है। इसलिये रिकार्ड मे इस संस्था के अलावा अन्य व्यक्तियो या पंचो के नाम का अंकन विधि सम्मत नही है। अतः नामान्तरकरण सं. 1783 पर पारित आदेश दिनांक 12.4.85 से स्वीकृत पंचो के नाम के इन्द्राज पूर्णतया गलत, त्रुटिपूर्ण एवं निराधार है। लिहाजा गलत, त्रुटिपूर्ण व निराधार रूप से रिकार्ड मे शामिल इन्द्राज को जरिये अपील निरस्त फरमावे।

{3}(VI)–भू राजस्व विधियो एवं नियमो के अनुसार अधिकार अभिलेख क संधारण करने, इन इन्द्राजो मे कोई परिवर्तन होने पर रिकार्ड को आदिनांक रखने हेतु नामान्तरकरण दर्ज, जांच व स्वीकृति के प्रावधान है। इन प्रावधानो के अनुसार जमाबंदी मे नामान्तरकरण के जरिये खातेदार के नाम ही दर्ज किया जाना है। हस्तगत प्रकरण नामान्तरकरण सं. 1783 पर पारित आदेश दिनांक 12.4.85 से रेस्पोडेन्ट सं. 55 तहसीलदार नागौर वर्तमान तहसीलदार मुण्डवा ने खातेदार "न्याति मालियान संस्थान" कुचेरा की बजाय उसके प्रतिनिधि/पंचो व मुखियान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। प्रत्यर्थी सं. 55 का यह आदेश उक्तानुसार विवेचित विधिक प्रावधानो, नियमो एवं परिपत्र दिनांक 09.06.2009 के अध्यधीन प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है, ऐसे आदेश के संबंध मे किसी भी समय आपति उठायी जा सकती है।

{3}(VII)–प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1783 मे किये गये इन्द्राज विक्रय पत्र दिनांक 02.03.60 व 05.10.85 को निष्पादित विक्रय संविदा के अनुसार न कर प्रत्यर्थी सं. 55 व उसके कर्मचारियो द्वारा मनमर्जी अनुसार उतरोतर गलत ढंग से स्वीकृत किये गये है। जिनका विधि अनुसार कोई आधार नही है। इसलिये मनमर्जी अनुसार किये गये इन्द्राज निरस्तनीय है।

{3}(VIII)–प्रश्नगत नामान्तरकरण मे प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त एवं दखल न्याति मालियान संस्थान, कुचेरा का प्रारंभ से था व वर्तमान मे है। अतः नामान्तरकरण तस्दीक से प्रत्यर्थी सं. 55 को कब्जे संबंधी जांच करनी आज्ञापक थी। मगर रेस्पोडेन्ट सं. 55 द्वारा ऐसी न तो जांच की गई। न ही कब्जे के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 1783 तस्दीक किया। अतः विधि विरूद्व तस्दीक नामान्तरकरण सं. 1783 के इन्द्राज निरस्तनीय है।

{4}–रेस्पोडेन्ट सं. 9, 15, 22, 23, 25, 27, 29–32, 35, 38, 43 व 51 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि –

{4}(I)–अपीलार्थी को ऐसी कोई अपील पेश करने का अधिकार नही है व न ही तेजाराम पुत्र शंकरलाल सांखला जाति माली निवासी कुचेरा किसी भी प्रकार से न्याति मालियान संस्था का प्रतिनिध नही है व न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया है व न ही न्याति मालियान संस्था कुचेरा कभी अस्तित्व मे रहा व न ही ऐसी कोई संस्था या संगठन कभी किया गया व न ही उसका संचालन किसी प्रकार से समाज द्वारा किया जाता रहा। जब ऐसी कोई संस्था अस्तित्व मे नही थी तो उसका माली समाज का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। न्याति मालियान संस्था के नाम की कोई संस्था कभी भी अस्तित्व मे नही रही व न ही समस्त माली समाज कुचेरा के आर्थिक व सामाजिक हितो के मध्य नजर माली न्याति संस्थान कुचेरा द्वारा हाल खसरा नं. 2466, 2469, 2479, 2468 कुल रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि दिनांक 2.3.60 को खरीदी गई। समस्त माली न्याति समाज संस्थान कुचेरा नामक कोई संस्था कभी अस्तित्व मे नही रही व न ही वर्ष 1960 मे समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा के कुल दस पंच सर्व श्री रामचंद्र श्री रामदेव श्री टोवाराम, श्री इन्द्राराम, श्री रामदेव, श्री चूनाराम, श्री रामलाल, श्री गोरधन, श्री मोहनराम व श्री रामदेव नही थे व न ही उक्त व्यक्तियो द्वारा किसी प्रकार की कोई संस्था का गठन ही किया गया। रेस्पो. सं. 1 से 54 उनके वारिस अवश्य है। यह गलत है कि उक्त सभी दसो व्यक्तियो ने खातेदारो से खरीदी गई भूमि पर हुए सौदे की एवज मे निष्पादित बेचान पत्र पर क्रेता समस्त माली न्याति समाज संस्थान की ओर से हस्ताक्षर किये हो व विक्रेताओ से माली न्याति संस्थान की ओर से कब्जा प्राप्त किया हो व माली न्याति संस्थान कुचेरा के कोष से इस खरीद की गई भूमि के प्रतिफल रू. 8500/– का भुगतान विक्रेताओ को किया गया हो। जब समस्त माली न्याति समाज संस्थान कुचेरा अस्तित्व मे नही था तो उसका कोष होना व उसकी ओर से भूमि क्रय करना व कब्जा लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उक्त भूमि उक्त व्यक्तियो द्वारा स्वयं के निजी व दसो व्यक्तियो के परिवार के सामूहिक उपयोग हेतु क्रय की गई व प्रतिफल का भुगतान भी उक्त दसो व्यक्तियो द्वारा ही किया गया। जिसमे समस्त माली न्याति संस्थान अथवा समस्त मालियान कुचेरा का किसी भी प्रकार का सहयोग नही लिया गया व न ही इनकी ओर से कोई राशि का भुगतान किया गया। विक्रय पत्र मे कब्जा न्यात की तरफ से

अपर कलक्टर, नागौर

आप पंचान व मुखियान न्यात मालियान कुचेरा को करा देने व न्यात की रकम निजोख्मी होने का कोई अंकन नही है। यह गलत है कि समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा द्वारा दिनांक 05.10.84 को मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2465 की भूमि प्रतिफल रू. 2000/— मे खरीदी हो और उसका बेचान करवाया हो। वर्ष 1984 मे माली न्याति संस्थान कुचेरा के पंच सर्व श्री टोवाराम, रामदेव, गोरधन व रामदेव नामित नही थे। जब किसी प्रकार की कोई संस्थान अस्तित्व मे नही थी तो पंच नामित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। रेस्पोडेन्ट उनके विधिक वारिस अवश्य है। यह गलत है कि उक्त चारो ही पंचो ने समाज के नामित प्रतिनिधि होने से समाज की ओर से विक्रेता से भूमि खरीदी हो तथा खरीद की गई भूमि के सौदे की एवज मे निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 5.10.84 पर क्रेता समस्त माली न्याति संस्थान कुचेरा की ओर से हस्ताक्षर किये हो व न्याति संस्थान की ओर से कब्जा प्राप्त किया हो। ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य अपीलांट द्वारा पेश नही किये गये है। उक्त भूमि उक्त व्यक्तियो द्वारा स्वयं के सामूहिक उपयोग हेतु स्वयं की राशि से खरीद की है तथा स्वयं की हेसियत से ही कब्जा प्राप्त किया है। माली न्याति संस्थान कुचेरा नाम की संस्था कभी अस्तित्व मे नही रही। अपील गलत आधारो पर बिना अधिकार के पेश की गई है।

{4}(II)—मौजा कुचेरा के खसरा नं. 2466, 2469, 2470, 2468 व 2465 की भूमि का वास्तविक क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा हो बल्कि न्याति मालियान संस्था कुचेरा के नाम की कोई संस्था कभी भी अस्तित्व मे नही रही। यह गलत है कि ऐसी कोई संस्था रही हो जिसका संचालन समाज द्वारा नामित पंच व प्रतिनिधियो को हो। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 54 के पूर्वज कभी भी इस संस्थान के पंच व प्रतिनिधि नही थे। बल्कि उक्त भूमि उन्होने स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं की सामूहिक राशि से भूमि क्रय की है। इस कारण से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व रेकर्ड मे जो नामान्तरकरण भरा गया। वह विधि अनुसार सही प्रकार से भरा गया है तथा जमाबंदी मे जो प्रविष्टियां की गई है। वह सही प्रकार से की गई है तथा किसी भी परिपत्र का कोई उल्लघंन नही किया गया है व न ही परिपत्र दिनांक 09.06.09 का कोई उल्लघन किया है। उक्त परिपत्र प्रस्तुत प्रकरण मे लागू भी नही होता है। क्योकि उक्त नामान्तरकरण सन् 1985 मे भरा गया। जबकि परिपत्र 2009 मे जारी किया गया है तथा राजस्थान भू राजस्व (भू—अभिलेख) नियम 1957 के नियम 131 का जो उल्लेख किया गया है। वह नामान्तरकरण के संबंध मे जाचं से सबंधित है। जिसके संबंध मे स्पष्ट रूप से जांच की गई है। साथ ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। इसलिये इस संबंध मे नियम 131 के तहत पूर्ण जांच की जाना आवश्यक नही है। क्योकि विक्रय पत्र मे कब्जा सुपुर्द करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है तथा विक्रय पत्र मे उल्लेखित कब्जा हस्तान्तरण की अवधारणा विधि अनुसार की जाती है। इसलिये बयान लेने इत्यादि की कोई आवश्यकता नही है तथा जो इन्द्राज किया गया है। वह पूर्ण रूप से विधि अनुसार किया गया है तथा किसी प्रकार का कोई विवाद नही था। इसलिये अपील संधार्य नही होने से निरस्तनीय है।

{4}(III)—राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 121 व 114 का जो उल्लेख किया गया है। वह प्रस्तुत प्रकरण मे लागू नही होते है। अपीलांट जाति से माली अवश्य है। परंतु माली समाज कुचेरा का सदस्य होने से अपीलांट का किसी प्रकार का हित प्रस्तुत प्रकरण मे निहित नही करता है तथा माली न्याति संस्थान कुचेरा का कभी कोई अस्तित्व नही रहा इसलिये अपीलांट का हित निहित होना किसी भी प्रकार से नही माना जा सकता है तथा जो जानकारी का तथ्य अंकित किया है। वह भी गलत रूप से अंकित किया है। विवादित खेताय किसी भी प्रकार से माली न्याति संस्थान कुचेरा की खरीदसुदा हक अधिकार व स्वामित्व की भूमि नही है तथा शुरू से ही प्रत्यर्थीगण की कब्जासुदा स्वामित्व की सम्पति रही है तथा उक्त भूमि के संबंध मे तथाकथित समस्त माली (सैनी) समाज संस्थान कुचेरा के प्रतिनिधियो द्वारा दिनांक 24.05.18 को ही सक्षम राजस्व न्यायालय मे खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती हेतु वाद पेश कर दिया था तथा संपूर्ण जानकारी तत्समय ही हो गई थी। उससे पहले ही हो चुकी थी तथा अपीलांट को पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी शुरू से ही रही है। साथ ही उक्त संस्थान के अध्यक्ष पुखराज टाक व सचिव कृपाराम को होना बताया जा रहा है तथा अन्य कोई सदस्य है या नही इसका कोई उल्लेख संस्थान द्वारा नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट को ऐसी अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है व न ही अपील पेश करने का अधिकार है। अपील

अपर कलक्टर, नागौर

नामान्तरकरण के करीब 34 वर्ष बाद पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से अवधि बाहर पेश की गई है तथा अपीलांट को इस संबंध मे शुरू से ही जानकारी रही है। साथ ही गलत रूप से अपील पेश की है।

{4}(IV)–नामान्तरकरण किसी भी प्रकार से नियम विधि तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के बिनाय पर गलत फहमी मे दर्ज इन्द्राज नही है। बल्कि विधिवत रूप से एक वैध व प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। जो पूर्ण रूप से वैध है।

{4}(V)–यह सही नही है कि बेचान पत्र दिनांक 02.03.60 व 05.10.84 मे भूमि का क्रेता न्याति मालियान संस्थान कुचेरा हो व विक्रय पत्रो मे वर्णित अन्य व्यक्ति इस संस्था के प्रतिनिधि व पंच हो व केवल संविदा निष्पादन की गरज से इनके नाम दर्ज हो व क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा हो एवं संस्था के अलावा अन्य व्यक्तियो एवं पंचो के नाम अंकन विधि सम्मत नही हो व नामान्तरकरण सं. 1783 मे पारित आदेश मे पंचो के नाम के इन्द्राज पूर्णतया गलत त्रुटिपूर्ण व निराधार हो। बल्कि न्याति मांलियान संस्था कुचेरा का कभी कोई अस्तित्व नही रहा व न ही ऐसी कोई संस्था अस्तित्व मे ही व न ही उक्त भूमि का क्रय न्याति मालियान संस्था कुचेरा द्वारा किया गया। बल्कि विक्रय पत्र मे स्पष्ट रूप से क्रेतागण का नाम उल्लेखित है तथा संस्था का कही भी उल्लेख नही है तथा विक्रय पत्र के अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है तथा विक्रय पत्र आज दिन भी पूर्ण रूप से प्रभावी है। इसलिये जब तक विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय मे चुनोती नही दी जाती है अथवा सक्षम न्यायालय से उक्त भूमि का क्रेता न्याति मालियान संस्था कुचेरा होना घोषित नही करवा लिया जाता है। तब तब ऐसे वैध विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण के संबंध मे कार्यवाही करने का किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नही है। इसलिये अपील गलत आधारो पर पेश की गई हैं जो निरस्तनीय है।

{4}(VI)–राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं अधिकार अभिलेखो को संधारण एवं नामान्तरकरण इत्यादि से संबंधित नियमो की प्रस्तुत प्रकरण मे पूर्ण रूप से पालना की गई है तथा विक्रय पत्र मे न्याति मालियान संस्थान कुचेरा का कोई उल्लेख नही है तथा क्रेतागण का ही नाम अंकित है। जिनके नाम से ही विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जो आदेश किसी भी प्रकार से विधि के नियमो के प्रावधानो के अध्यधीन प्रारंभ से ही शून्य एव प्रभावी नही है बल्कि पूर्ण रूप से वैध विधि सम्मत व प्रभावी आदेश है। जिसके विरूद्व कभी भी आपत्ति नही उठायी जा सकती है। बल्कि ऐसा आदेश एक वैध व विधि सम्मत आदेश है तथा वैध व प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्व अपील पेश करने की मयाद ऐसे आदेश से 30 दिवस ही निर्धारित है तथा उसके पश्चात अपील पेश नही की जा सकती है तथा मयाद के संबंध मे जो तथ्य उल्लेखित किये गये है। उनमे देरी का कारण उचित व न्याय संगत नही बताया गया है व न ही माकूल कारण बताया गया है। ऐसी स्थिति मे अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर पेश की गई है। जो निरस्तनीय है।

{4}(VII)–जो नामान्तरकरण मे इन्द्राज किये गये है। वह विक्रय पत्र मे दर्ज तथ्यो के आधार पर ही किये गये है तथा नामान्तरकरण सं. 1783 एक वैध एवं प्रभावी विक्रय पत्रो के आधार पर ही स्वीकृत किये गये है। जो विधि अनुसार किये गये है। इसलिये इस संबंध मे जब तक वैध व प्रभावी विक्रय पत्र अस्तित्व मे रहता है तब तक अपीलांट को अथवा किसी भी व्यक्ति को नामान्तरकरण को चुनोती देने का अधिकार नही रहता है। इसलिये भी अपील निरस्तनीय है।

{4}(VIII)–यह गलत है कि प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त एवं दखल न्याति मालियान संस्था कुचेरा का हो तथा कब्जे के बाबत कोई जांच नही की गई हो। बल्कि उक्त प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त व दखल प्रत्यर्थी सं. 1 से 54 के पूर्वजो क्रेतागण का रहता आया है। न्याति मालियान संस्थान कुचेरा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। विक्रय पत्र मे कब्जा सुपुर्द करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। ऐसी स्थिति मे कब्जे के संबंध मे विक्रय पत्र मे उल्लेखित कब्जा सुपुर्द करने का तथ्य कब्जा होने की अवधारणा को साबित करता है। जिसके लिये पृथक से जाच की जाना आवश्यक नही है व न ही अपीलांट को ऐसा कोई कथन या आपति करने का अधिकार ही है। अपील निराधार कथनो पर पेश की गई है। जो निरस्तनीय है।

{4}(IX)–अपीलांट ने उक्त अपील बिना आधार के गलत रूप से पेश की है। न्याति मालियान संस्था कुचेरा नाम की कोई संस्था कभी भी अस्तित्व मे नही रही व न ही आज दिन किसी प्रकार से अस्तित्व मे है। बल्कि सर्वप्रथम समस्त माली (सेनी) समाज संस्थान कुचेरा का गठन वर्ष 2016–17 मे किया गया। जिसका

अपर कलक्टर, नागौर

पंजीयन भी करवाया गया है। जिसका तथाकथित अध्यक्ष पुखराज टाक व सचिव कृपाराम है तथा उनके द्वारा उक्त भूमि के संबंध मे एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती का व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम एवं भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के तहत एक वाद सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नागौर के न्यायालय मे राजस्व वाद सं. 17/2018 दिनांक 24.05.18 को पेश किया। जो वाद समस्त माली (सेनी) समाज कुचेरा बनाम लिखमाराम व अन्य के अनवान से विचाराधीन है। जिसमे किसी संस्थान अथवा प्रत्यर्थीगण के हक अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति मे जब सक्षम न्यायालय मे भूमि के संबंध मे राजस्व वाद विचाराधीन है तथा अपील मे अभिलिखित कथनो के आधार पर ही उक्त वाद पेश किया है। जिसमे पक्षकारान के हक अधिकार तय होने है तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही जो कि एक फिस्कल प्रोसिडिग है। जिसमे पक्षकारान के अधिकार तय नही किये जो सकते है तथा अपील भी वाद के पश्चात पेश की गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील किसी भी प्रकार से संधारण योग्य नही है व निरस्तनीय है। इस संबंध मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश है–

(1) आरआरटी 2018 (2) पेज सं. 1057 गौरीशंकर बनाम राजस्थान सरकार मे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु नियमित वाद पेश किया गया है तथा नियमित वाद पेश करने के बाद नामान्तरकरण के विरूद्व निगरानी पेश की गई हैं जो वाद पेश करने के बाद निगरानी या अपील संधारण योग्य नही है। जो भी निर्णय होगे वह दावे मे तय होगे।

(2) आरआरटी 2005 (1) पेज सं. 665 मुकुटचंद बनाम देवकीनंदन व अन्य मे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित किया गया कि पक्षकारो के बीच नामान्तरकरण का विवाद नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही हैं जिसके आधार पर अधिकार या स्वत्व सर्जित नही होते है। स्वत्व की घोषणा हेतु नियमित वाद आवश्यक है। घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है। इसलिये नियमित वाद के निस्तारण तक नामान्तरकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाना न्याय संगत है।

(3) आरआरडी 2019 पेज सं. 266 श्रीमती हस्तु माली व अन्य बनाम श्रीमती मांगी बाई व अन्य मे माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा उपरोक्त तथ्य ही निर्धारित किया गया है।

(4) आरआरडी 2018 पेज सं. 124 सागरमार व अन्य बनाम मुन्नीदेवी व अन्य राजस्व मंडल अजमेर।

(5) आरआरटी 2019 पेज 648 पेमादेवी बनाम जालूराम व अन्य राजस्व मंडल अजमेर।

{4}(X)–अपीलांट ने उक्त अपील नामान्तरकरण आदेश के करीब 34 वर्ष बाद उक्त अपील पेश की है तथा देरी का कोई माकूल कारण नही बताया गया है तथा इतनी लंबी अवधि के पश्चात नामान्तरकरण को निरस्त नही किया जा सकता है व न ही प्रकरण को पुनः निर्णीत करने हेतु प्रति प्रेषित किया जा सकता है। क्योकि इतने लंबे समय पश्चात किसी प्रकार की जांच की जाना संभव नही है तथा रजि. विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। जिनकी जांच नही की जा सकती है व न ही निरस्त किया जा सकता है। साथ ही जब तक पंजीकृत विक्रय विलेख को किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनोती नही दी गई है व न ही न्याति मालियान संस्थान कुचेरा द्वारा भूमि क्रय की गई है। इसकी घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा नही करवायी जाती है। तब तक ऐसी अपील पेश करने का अथवा विक्रय पत्र को निरस्त घोषित करवाये बिना उक्त तथ्यो को नामान्तरकरण अपील मे न तो चुनोती दी जा सकती है व न ही ऐसा तथ्य नामान्तरकरण की कार्यवाही मे निर्णीत किया जा सकता है। इसलिये अपील इसी आधार पर निरस्तनीय है। इस संबंध मे न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत है–

(1) आरआरडी 2018 (2) पेज सं. 1552 हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिलोडी व अन्य।

(2) आरआरटी 2019 (2) पेज सं. 1555 रामस्वरूप बनाम कन्हैया।

(3) आरआरडी 2012 पेज सं. 742 घीसाराम व अन्य बनाम राजस्व मंडल व अन्य।

(4) आरआरडी 2013 पेज सं. 788 श्रीमती रूपकंवर बनाम सोहनसिंह व अन्य।

(5) आरआरटी 2019 (1) पेज सं. 648 पेमादेवी बनाम जालूराम व अन्य।

(6) आरआरटी 2018–19 (सप्ली) पेज सं. 581 शारदादेवी बनाम अमीना व अन्य।

(7) आरआरटी 2016–17 (सप्ली) पेज सं. 158 रामजीलाल व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य।

{5}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 1783 वाके कुचेरा जैर अपील बेचान दिनांक 02.03.60 व 05.10.84 दस्तावेज के आधार पर भरा गया है। जो विधिवत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{6}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

{6}(I)–प्रकरण में नामान्तरकरण सं. 1783 वाके कुचेरा मे स्थित भूमि खसरा नं. 2465, 2466, 2469, 2470, 2468 कुल रकबा 6.10 बीघा के कॉलम सं. 7 मे दर्ज खातेदारान गुगा वगैरा के स्थान पर खसरा नं. 2465 टोवाराम व अन्य माली पंचान व मुख्यान संस्थान न्याति मालियान साकिन देह खातेदार एवं खसरा नं. 2466, 2469, 2470, 2468 रामचन्द्र वगैरा कौम माली पंचान व मुख्यान संस्थान न्याति मालियान साकिन देह खातेदार के पक्ष मे बेचान दिनांक 2.3.60 व 5.10.84 के आधार पर दिनांक 12.04.1985 को स्वीकृत किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

{6}(II)–प्रकरण मे अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उजर लिया गया है कि आराजी भूमि मालियान न्याति की क्रयसुदा भूमि रही है तथा इसमे दर्ज खातेदारान टोवाराम आदि व रामचन्द्र आदि मालियान न्याति के पंच रहे है। जो जरिये समाज माली न्याति रहे है। परिपत्र दिनांक 09.06.2009 विधि के सुस्थापित प्रावधानो एवं नियमो की सही ढंग से क्रियान्विति किये जाने के संबंध मे अधीनस्थ राजस्व अधिकारियो को मार्गदर्शक निर्देश है, जिसके अनुसार किसी संस्था के मामले मे भूमि का मूल खातेदार संस्था ही मानी जायेगी। संस्था के निदेशक/अध्यक्ष/पंच आदि हैसियत के व्यक्तियो की भूमि नही मानी जा सकती है तथा ऐसे व्यक्तियो के नाम नामान्तरकरण मे भी शामिल नही करने चाहिये।

इस संबंध मे रेस्पोडेन्ट का कथन रहा है कि मालियान न्याति नाम की कोई संस्था अस्तित्व मे ही नही रही है। यह भूमि निजी क्रेताओ की भूमि है। इस भूमि का न्यात मालियान से कोई संबंध नही है।

उक्तानुसार प्रश्नगत की गई तथ्यात्मक स्थिति संबंध मे यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि, प्रस्तुत नामान्तरकरण सं. 1783 के कॉलम सं. 9 मे नवीन इन्द्राज यथा "टोवाराम पुत्र भूराराम, रामदेव पुत्र पूनाराम, गोरधन पुत्र पांचाराम रामदेव पुत्र जगराम कौम माली तथा रामचन्द्र पुत्र लालूराम, रामदेव पुत्र खुमाराम, टोवाराम पुत्र भूराराम इन्द्राराम पुत्र हीराराम रामदेव पुत्र पूनाराम, चूनाराम पुत्र गणेशराम, रामलाल पुत्र मूलाराम, गोरधन पुत्र पांचाराम, मोवना पुत्र छोटू रामदेव पुत्र जगजी" साथ ही "कौम माली पंचान व मुख्यान संस्थान न्याति मालियान सा. देह खातेदार" अंकित है। सामान्यतः किन्ही व्यक्तियो द्वारा निजी हैसियत से खरीद की गई भूमि के संबंध मे पंचान व मुख्यान का अंकन नही होता है। बेचान दिनांक 02.03.60 के प्रथम पृष्ठ मे .... "हक खातेदारी बेचान का दस्तावेज 1 हम मुस्मीयान बालूराम.............. बहक मुस्मीयान रामचन्द्र....... अकवाम मालियान पंचान व मुख्यान संसथान न्यात मालियान मौजा कुचेरा तहसील नागौर के लिख देते है की इबारत अंकित है। इसी प्रकार पृष्ठ सं. 2 की द्वितीय लाईन मे .... "कब्जा उक्त नंबरान पर न्यात की तरफ से .... न्यात मालियान कुचेरा का करा दिया है। सो अब उक्त खसरान नंबर के मालिक न्यात है।" बेचान पत्र दिनांक 5.10.84 के अनुसार खसरा नं. 2465 के बेचाननामे दस्तावेज मे प्रथम पेज की लाईन नं. 17–18 मे अंकन इस प्रकार है....... "यह जमीन मालियान के न्यात को विक्रय कर दिया है ...." एवं इसी बेचान पत्र के पृष्ठ सं. 2 की लाईन सं. 10 के आगे पडोस का विवरण अंकित किया हुआ है। जिसमे उत्तर, पूर्व व पश्चिम की तरफ न्यात की जमीन का पडोस दर्ज किया हुआ है तथा पेज सं. 2 लाईन सं. 18–19 मे यह अंकन .... "इच्छा अनुसार न्यात के काम मे ले सकोगे" .... इन विक्रय पत्रो मे वर्णित उपर्युक्त अंकनो के अनुसार हस्तगत अपील मे प्रश्नगत आराजी भूमि न्यात मालियान कुचेरा की होना प्रतीत होती है तथा तत्समय रिकार्ड मे नामान्तरकरण खातेदार के रूप मे जरिये नामान्तरकरण सं. 1783 से दर्ज व्यक्ति न्यात मालियान कुचेरा के पंच/प्रतिनिधि होना स्पष्ट करता है कि प्रकरण मे मुख्य क्रेता न्यात मालियान कुचेरा ही है।

{6}(III)–उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन के अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 02.03.1960 एवं 05.10.1984 मे भूमि की क्रेता न्यात मालियान कुचेरा है और न्यात मालियान कुचेरा की ओर से पंच/प्रतिनिधि की हैसियत से लिखे व्यक्तियो के नाम इस भूमि के वास्तविक क्रेता नही है। कब्जा इन व्यक्ति (पंचान) ने न्यात मालियान की ओर से प्राप्त किया। भूमि का क्रय प्रतिफल न्यात मालियान द्वारा दिया जाना विक्रय पत्रो से प्रकट है। अतःएव नियम 131 के अनुसार व परिपत्र दिनांक 9.6.2009 के अनुसार विक्रय संविदा से जमाबंदी मे मौजूदा खातेदारो के स्थान पर खातेदारी का इन्द्राज न्यात मालियान कुचेरा की बजाय पंचगण के नाम किये जाने हेतु स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण सं. 1783 विधि एवं नियमो के सुस्थापित प्रावधानो से असंगत है।

अपर कलक्टर, नागौर

{6}(IV)–जहां तक संस्था अस्तित्व मे थी अथवा नही, यह बिन्दु यहां निर्धारित नही किया जा सकता है तथा पक्षकारो के मध्य नियमित न्यायालय मे वाद भी विचाराधीन है। जहां अधिकार तय होने है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है तथा नियमित दावा विचाराधीन रहते हुए इस अपीलीय कार्यवाही को स्थगित किये जाने को लेकर कोई ठोस आधार नही है। इस प्रकार आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{7}– उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 1783 वाके कुचेरा मे पारित आदेश दिनांक 12.04.1985 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मुण्डवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार किये गये विवेचन एवं हस्तगत प्रकरण मे प्रश्नगत भूमि के संबंध मे निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 02.03.60 एवं 05.10.84 के प्रकाश मे नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर भूमि के वास्तविक क्रेता के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

{8}-- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर